लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल

क्रमांक/एफ-1/2018/20-1/3030. भोपाल,दिनांक ...26/9/2019

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर
   म.प्र. ।
2. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक
   लोक शिक्षण, म.प्र. ।
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
   म.प्र. ।
4. समस्त जिला परियोजना समन्वयक
   जिला शिक्षा केंद्र (SSA) ।

विषयः-एजुकेशन पोर्टल 2.0 पर नवीन **"स्कूल डायरेक्टरी मेनेजमेंट सिस्टम"** अंतर्गत दर्ज समस्त शालाओं का सत्यापन किये जाने विषयक |

विषयान्तर्गत स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत लगभग सभी योजनाओं का क्रियान्वयन एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है जिसमे प्रमुखतः समस्त शालाओं का पंजीयन, शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक अमले का पंजीयन, प्रदेश के समस्त शासकीय / अशासकीय शालाओं में दर्ज विद्यार्थियों का पंजीयन, किया जाता है इसके लिए सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि समस्त शालाएं पोर्टल पर सही-सही पंजीकृत हों |

2. EPES अंतर्गत मर्ज की गयी शालाओं को जिलों के द्वारा DISE DATA में मर्ज कर उपलब्ध कराई गयी जानकारी के अनुसार शालाओं को मर्ज कर नवीन केटेगरी में इस प्रणाली अंतर्गत प्रदर्शित किया गया है जिनके सत्यापन का कार्य किया जाना है| एजुकेशन पोर्टल पर उपरोक्तानुसार समस्त शासकीय शालाओं को निम्न भागों / केटेगरी में विभाजित किया गया है :

a. Primary only (1-5) = 1
b. Primary with Upper Primary(1- 8) =2
c. Primary with upper primary and secondary and higher secondary(1-12) =3
d. Upper Primary only(6-8) =4
e. Upper Primary with secondary and higher secondary(6-12) =5
f. Primary with upper primary and secondary(1-10) =6
g. Upper Primary with secondary(6- 10) =8
h. Secondary only(9 & 10) =10
i. Secondary with Hr. Secondary(9- 12) =7

यह कार्यवाही 2 चरणों में की जानी है -

3. प्रथम चरण –

3.1 EPES अंतर्गत मर्ज की गयी शालाओं के लिए प्रमाणीकरण की कार्यवाही - उपरोक्त अनुसार शालाओं के सत्यापन हेतु एजुकेशन पोर्टल 2.0 पर सॉफ्टवेयर NIC द्वारा विकसित कर दिया गया गया है जिसमे EPES अंतर्गत U-DISE में compile की गयी जानकारी को समाहित कर दिया गया है और सम्बंधित सहायक जानकारी भी दर्ज कर दी गयी है जो Editable मोड में प्राप्त होगी उसमे संशोधन किया जा सकता है |शालाओं के नाम के साथ संचालित कक्षा जैसे (Class-1-8), (Class-6-10), (Class-1-12), (Class-6-12), (Class-1-10) आदि केटेगरी के मान से जोड़े जाए एवं नाम संशोधन किया जाये | तथा नाम में निम्नासुर संशोधन किया जाये |

a. माध्यमिक शालाओं में GMS XXXXXXXX 1to 8
b. हाई स्कूल में GHS XXXXXXXX 1to 10
c. हाई स्कूल में GHS XXXXXXXX 6 to 10
d. हायर सेकेंडरी में GHSS XXXXXXXX1 to 12
e. हायर सेकेंडरी में GHSS XXXXXXXX 6 to 12

यह कार्यवाही अनिवार्यत 30 सितम्बर तक पूर्ण की जाएगी |

3.2 अन्य शालाओ के लिए -शालाओं के नाम के साथ संचालित कक्षा जैसे (Class-1-5), (Class-6-8) (Class-9-10), (Class-9-12) आदि केटेगरी के मान से जोड़े जाए एवं नाम संशोधन निम्नानुसार शब्दावली (Nomenclature) के अनुसार किया जाए :

a. प्राथमिक शालाओं में GPS XXXXXXXX
b. माध्यमिक शालाओं में GMS XXXXXXXX
c. हाई स्कूल में GHS XXXXXXXX
d. हायर सेकेंडरी में GHSS XXXXXXXX

उपरोक्त कार्यवाही 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर 2019 तक पूर्ण की जाए |

4 भविष्य में नवीन उन्नयन की जाने वाली शालाओ के लिए

4.1 प्रतिवर्ष नवीन उन्नयन होने वाली शालाओं तथा नवीन शालाओं का पंजीयन, शालाओं को बंद करने एवं शालाओं को मर्ज करने की कार्यवाही राज्य स्तर से ही की जाएगी |

4.2 जिले द्वारा बंद / मर्ज किये गए शालाओ की सूची राज्य को भेजी जाएगी राज्य स्तर से राज्य शिक्षा केंद्र / लोक शिक्षण संचालनालय / विभाग द्वारा की जाएगी|

4.3 नवीन शाला का पंजीयन राज्य स्तर से करने के उपरांत उसके सम्बंधित ऐट्रिब्यूट्स जैसे ग्राम का नाम/ पंचायत का नाम/ संकुल का नाम/ जन शिक्षा केंद्र का नाम/ विधान सभा /लोकसभा, बसाहट का नाम को दर्ज / अपडेट करने की कार्यवाही जिला शिक्षा केंद्र के प्रोग्रामर द्वारा की जाएगी |

4.4 प्रोग्रामर द्वारा समस्त जानकारी को अद्यतन किये जाने के उपरांत जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उसका अवलोकन किया जाकर सूची डिजिटल हस्ताक्षर कर प्रकाशित की जाएगी |

5. नियमित रूप से जानकारी को अद्यतन करना

5.1 शालाओं को अद्यतन करने की कार्यवाही प्रतिवर्ष 1मई से 30 जून तक की अवधि में की जाएगी तथा इसका प्रकाशन प्रति वर्ष 1 जुलाई को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जायेगा | एक बार प्रकाशन होने के उपरांत वर्ष भर कोई परिवर्तन पोर्टल पर नहीं किया जायेगा | इस प्रकार प्रति अकादमिक वर्ष सूची का प्रकाशन किया जायेगा|

5.2 शासकीय शालाओं के साथ ही अशासकीय शालाओं / मदरसा / राज्य अथवा केन्द्रीय विभागों द्वारा संचालित शालाओं का पंजीयन भी इसी समयावधि में किया जायेगा | इस प्रकार प्रत्येक स्तर की शाला पोर्टल पर पंजीकृत होगी किसी भी शाला के छूटने की जिम्मेदारी जिला शिक्षा अधिकारी / प्रोग्रामर की होगी |

अतः उपरोक्तानुसार समयावधि में कार्य पूर्णता का प्रमाण पत्र जिला शिक्षा अधिकारी , जिला परियोजना समन्वयक एवं जिला प्रोग्रामर (SSA) के संयुक्त हस्ताक्षर से आयुक्त, लोक शिक्षण को प्रस्तुत किया जाए |

आयुक्त 19/9
लोक शिक्षण

क्रमांक/एफ-1/2018/20-1/3031 भोपाल,दिनांक 26/9/2019

प्रतिलिपि :

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.शासन
2. प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.शासन
3. आयुक्त, लोक शिक्षण म.प्र.
4. संचालक, राज्य शिक्षा केंद्र म.प्र.
5. संचालक, लोक शिक्षण म.प्र.
6. कलेक्टर, समस्त जिले म.प्र.
7. राज्य सूचना एवं विज्ञान अधिकारी NIC विंध्यांचल भवन भोपाल
8. श्री सुनील जैन, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक NIC विंध्यांचल भवन भोपाल.
9. श्री सुमन कान्त जैन, प्रोग्रामर, लोक शिक्षण

आयुक्त
लोक शिक्षण